सकल हिन्दू समाज भोपाल

कार्यालय - वनवासी कल्याण परिषद कार्यालय महाराणा प्रताप नगर ज़ोन I ,भोपाल

प्रति,
डॉ मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन,
श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।

भोपाल दिनांक 03.05.2025

विषय :- प्रदेश में असामाजिक तत्वों एवं विधर्मियों द्वारा किये जा रहे आपराधिक कृत्य एवं लव जिहाद के मामलों में संज्ञान लेते हुए तत्काल कठोर कार्यवाही करने बावत।

महोदय,
जैसा की आपको विदित है, मध्यप्रदेश राज्य भारत में अपने शातिपूर्ण रवैये तथा संस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, परन्तु विगत कुछ समय से विधर्मियों द्वारा इस भूमि पर अपने घृणात्मक चरित्र को प्रदर्शित करते हुए समाज को क्षुब्ध करने के तथा उसमे असंतुलन पैदा करने के द्वेषपूर्ण भाव से कई प्रकार के आपराधिक कृत्य तथा हिन्दू समाज का विखंडन करने की भावना रखते हुए हिन्दू छात्राओं,बेटियों एवं किशोरियों को बहला फूसलाकर तथा डरा धमकाकर छद्म नाम अपना कर उनका शारीरिक, आर्थिक शोषण कर उनमे सनातन धर्म के प्रति घृणा का भाव घोलकर तथा उन्हें मुस्लिम मजहब की शिक्षा देकर उनका धर्म परिवर्तन करने का कार्य किया जा रहा है।

विगत कुछ दिनों में ही उपरोक्त कुकर्मो के कई उदाहरण सामने आये हैं जहाँ कुछ मुस्लिम युवकों के एक गिरोह द्वारा राजधानी भोपाल समेत अन्य शहरों की छात्राओं को अपने छद्म हिन्दू नाम बता कर झूठे प्रेम में फसाया गया है फिर उन छात्राओं को शारीरिक एवं मानसिक तौर पर शौषित एवं प्रताड़ित करते हुए मुस्लिम मजहब अपनाने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं उन्हें अपने साथियों की वासना की भूख मिटाने या निकाह करने हेतु बाध्य करने का षड़यंत्र किया गया है।

महोदय, उक्त घटनाओं का सक्षिप्त में वर्णन संलग्न ANNEXURE मे आपकी सूचना हेतु प्रस्तुत है ।

सकल हिन्दू समाज भोपाल

कार्यालय - वनवासी कल्याण परिषद कार्यालय महाराणा प्रताप नगर ज़ोन 1 ,भोपाल

महोदय, उक्त ANNEXURE मे उल्लेखित प्रत्येक प्रकरण अपने आप में ही जघन्य एवं गंभीर अपराध की श्रेणी का हैं जो की सनातन संस्कृति एवं धर्म को खडित करने की मानसिकता से सुनियोजित तरीके से किये जा रहे हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में सकल हिन्दू समाज आपके माध्यम से प्रशासन से सामूहिक रूप से यह मांग करता है की :-

- इस जघन्य अपराध के पीछे की मूल जड़ दुर्दांत अपराधी सारिक मछली को शीघ्र गिरफ्तार कर उस पर नाबालिक के साथ बलात्कार करने , सामूहिक दुष्कर्म करने , धार्मिक स्वतंत्रा अधिनियम का उल्लंघन करने, ड्रग्स का अवैध कारोबार करने आदि अपराधों के लिए उपयुक्त धाराओं में केस कायम किया जाए ।
- अपराधी सारिक मछली द्वारा नगर निगम भोपाल से TIT कॉलेज के पास लीज पर जमीन लेकर उस पर अवैध रूप से बनाकर अपने गुर्गो के संचालन करने के लिए दिये गए क्लब 90 रेस्टॉरेन्ट एवं फॉर्म हाऊस को ध्वस्त किया जाए जहां पीडिताओं को नशा करवाकर उनसे गलत काम करवाए जाते थे और उनका वीडियो बनाकर ब्लेक मेल किया जाता था ।
- पुलिस द्वारा प्राथमिक जांच में इस अपराध में सारिक मछली के इशारे पर काम करने वाले अपराधी फरहान, साहिल,अली खान,अबरार, साद और भविष्य में इस कड़ी में जुडने वाले सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने हेतु उपयुक्त धाराओं में एफ़आईआर दर्ज करने हेतु पुलिस को निर्देश प्रदान किए जाएँ ।
- उपरोक्त प्रकरणों में सभी पीड़ित बच्चियों/युवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- उपरोक्त समस्त प्रकरणों की जांच हेतु योग्य एवं वरिष्ठ अधिकारीयों की एस.आई.टी गठित की जाये, जिससे सभी प्रकरणों की विधि अनुसार निष्पक्ष जांच हो सके।
- लव जिहाद, धर्मान्तरण एवं असामाजिक गतिविधियों की जांच हेतु एस.आई.टी गठित की जाये, जिससे सभी प्रकरणों की भी सुचारू रूप से जांच हो सके। साथ ही साथ उपरोक्त अपराधों में सलिप्त एवं सहयोगी प्रत्येक व्यक्ति पर कठोर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जाए।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने हेतु राजधानी समेत सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक थाना स्तर पर महिला सुरक्षा समिति का गठन करवाया जाए।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु जिला एवं प्रदेश स्तर पर महिला उत्पीड़न के रोकथाम हेतु समितियों का गठन किया जाए तथा उक्त समितियों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन नंबर जारी कर समस्त महिलाओं की सुरक्षा तत्परतापूर्वक सुनिश्चित करवाई जाए।

सकल हिन्दू समाज भोपाल

कार्यालय - वनवासी कल्याण परिषद कार्यालय महारणा प्रताप नगर ज़ोन 1, भोपाल

- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय,महाविद्यालय, छात्रावास, कोचिंग संस्थान, जिम आदि में कार्यरत तथा ट्रेनिंग देने वाले स्टॉफ के परिचय पत्र बनाये जाकर उनका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करवाया जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु लव जिहाद जैसे समस्त असामाजिक गतिविधियों को संचालित करने वाले गिरोह की तत्काल प्रभाव से पहचान करवा कर रोकथाम के उपाय किए जाए।
- भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु लव जिहाद के समस्त केंद्र जैसे रेस्टोरेंट, केफे, हुक्का लाउन्ज, बियर बार, जिम, स्पा सेंटर/ब्यूटी पार्लर, डांस क्लास आदि के संचालकों तथा कार्य करने समस्त कर्मचारियों का थाना स्तर पर सूक्ष्म वेरिफिकेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

महोदय, मध्यप्रदेश की हृदयस्थली राजधानी भोपाल में विगत कुछ दिनों में ही बड़े स्तर पर लव जिहाद एवं आपराधिक गतिविधियों के मामले उजागर हुए हैं जिससे सकल हिन्दू समाज में भारी आक्रोश है। अतः आपसे प्रार्थना है की इस ज्ञापन के माध्यम से रखी गयी उपरोक्त वर्णित सभी मांगे निश्चित समय सीमा में पूरी की जाएँ, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके।

भवदीय

सकल हिन्दू समाज की महिला प्रतिनिधी

हस्ताक्षर सूची संलग्न है
पृष्ठ 4 व 5

सकल हिन्दू समाज भोपाल

कार्यालय - वनवासी कल्याण परिषद कार्यालय महारणा प्रताप नगर ज़ोन 1 ,भोपाल

क्रमांक	नाम व पता	समाज या संगठन का नाम	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती कृष्णा कुरे	वनवासी कल्याण आश्रम	9479375554	[signature]
2.	श्रीमती जयश्री त्रिपाठी	समाज सेवी	9425014581	[signature] 3/5/25
3.	श्रीमती रश्मि कुलकर्णी	वनवासी कल्याण आश्रम	9406517979	रश्मी
4.	किरण नेगी	महिला समन्वय	7415284117	Kiran Negi

सकल हिन्दू समाज भोपाल

कार्यालय - वनवासी कल्याण परिषद कार्यालय महाराणा प्रताप नगर ज़ोन 1, भोपाल

5.	डॉ. वंदना कलमकर	भारत विकास परिषद	9425014-126	[signature]
6.	नेहा मीणा	सेवा भारती प्रान्त प्रमुख स्वावलम्बन आयाम	9752235678 भोपाल	[signature]
7.	डा. प्रतिभा चतुर्वेदी	स्वदेशी जागरण मंच अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख	79870 38542	[signature]
8.	श्यामला सोमन	श्रीनारायण मिशन, भोपाल उपाध्यक्षा	94250 18852	[signature]
9	आरती नरवारे 199 = राहुल नगर वार्ड (28)	बालमीकि समाज से अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	79745620 81	आरती [signature]
10	सविता यादव F-199/19 शिवाजी नगर	अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा (म.प्र.)	7999320373	Savita [signature]
11.	उदय पाटीदार	राष्ट्रीय स्वयं सेवक विभाग सम्पर्क प्रमुख	9669955530	[signature]